

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा

प्रेस विज्ञप्ति

एन0सी0आर0 क्षेत्र की वायु गुणवत्ता कुप्रभावित होने से रोकने हेतु ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 18.11.2019 को नौएडा प्राधिकरण में वर्क सर्किल-1 से 10 के अन्तर्गत उद्योग मार्ग, सैक्टर-1, राष्ट्रीय सहारा से नेहरू युवा केन्द्र, जोनल रोड नं0-3, 8, सभी रोड सैक्टर-18, सैक्टर-27 में डी0एम0 चौराहे से सैक्टर-19, पैरलल रोड, सैक्टर-29, 27, सैक्टर-16ए फिल्म सिटी, सिटी सैन्टर मेट्रो स्टेशन सैक्टर-39, 75मी0 चौड़ी रोड (सैक्टर-71, 72 क्रोसिंग से डी.एस.सी. रोड) डी.एस.सी. रोड ग्राम बरोला की साईड, सैक्टर-62 एवं 63 के मध्य रोड नं0-6, टी0पी0 नगर क्रॉसिंग, एफ0एन0जी0 रोड, ममूरा से लेबर चौक, लेबर चौक से एन0एच0-24, रोड नं0-8 सैक्टर-62, गढ़ी गोल चक्कर, सैक्टर-63 एवं 69 के मध्य सड़क, एन.एस.ई.जेड चारदीवारी से सिंचाई नाला, सैक्टर-81, ग्राम शहदरा सैक्टर-88, 45मी0 चौड़ी रोड सैक्टर-140 और 140ए, 30मी0 चौड़ी रोड सैक्टर-124, सैक्टर-124 एवं 125 के मध्य 45मी0 चौड़ी रोड, मेट्रो गोलचक्कर से शमशान घाट गोलचक्कर सैक्टर-94, एक्सप्रेसवे सैक्टर-135 के समानान्तर 45मी0 चौड़ी रोड, सैक्टर-125 में 24मी0 चौड़ी रोड, सैक्टर-94 एवं 94ए के मध्य गौशाला के समीप 45मी0 चौड़ी रोड, सैक्टर-127 एवं 128 के मध्य 45मी0 चौड़ी रोड, शिव नादर स्कूल एवं गोल्डन पॉम सैक्टर-168 के निकट 30मी0 चौड़ी रोड, पुस्ता रोड सैक्टर-94 से रायपुर कट की दोनों साईड, 45मी0 चौड़ी रोड मयूर स्कूल रोटरी से लोटस वेली स्कूल कट तक दोनों साईड, सैक्टर-145, 146, 147, 161, 150, 155, 156, 157, एफ.एन.जी. रोड सैक्टर-115 एवं बिसरख रोड, अण्डरपास सैक्टर-71, सैक्टर-76 एवं 77 का मध्य रोड, सैक्टर-74, 76 एवं 117 के मध्य रोड, एफ0एन0जी0 रोड सैक्टर-112, सैक्टर-52, 53 एवं 61 के मध्य सड़क, सैक्टर-24 पुलिस स्टेशन के सामने, मोरना बस डिपो सैक्टर-35, सैक्टर-33ए, सैक्टर-66-71 एवं 67-70 के मध्य सड़क, सैक्टर-67 एवं 68 डी0एस0 रोड के मध्य सड़क, कोण्डली रोड से सैक्टर-11 से एम.पी.-2 रोड, पुलिस स्टेशन सैक्टर-58 के सामने, सैक्टर-58 एवं 59, 61, 52 एवं 71, आन्तरिक रोड सैक्टर-71, गिझोड़ रोड से खोड़ा टी-पॉइंट से एम.पी.-2 रोड, सैक्टर-108, 136, सैक्टर-143 एवं 144, सैक्टर-105 एवं हाजीपुर अण्डरपास, पर कुल 60 टैंकरों के माध्यम से लगभग 100.995 किमी0 लम्बाई में पानी का छिड़काव किया गया। खुले में निर्माण सामग्री रखने एवं निर्माण कार्य करते हुये प्रदूषण सम्बंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर धनराशि रुपये 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की पेनल्टी अधिरोपित की गई है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 67 मार्गों पर लगभग 243.00 किमी0 लम्बाई में मैकेनिकल मशीनों के माध्यम से सड़कों की सफाई करायी गई। ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त निर्माण सम्बंधी कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी गई है तथा उल्लंघनकर्ताओं पर निरन्तर पेनल्टी अधिरोपित की जा रही है।